न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 81/2019

1– श्री नन्दा
3– श्री रामलाल
पुत्रगण श्री सूरजकरण समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम मोतीपुरा, तहसील अरांई, जिला अजमेर

.....*अपीलान्ट्स*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अरांई

.....*रेस्पोन्डेन्ट*

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री गौतम चन्द टांक, वकील अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक–09.12.2022

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2075 में श्री श्री नन्दा व श्री रामलाल पुत्रगण श्री सूरजकरण, दोनों जाति जाट, निवासीगण ग्राम मोतीपुरा, तहसील अरांई ने ग्राम मोतीपुरा के सिवायचक आराजी क्रमशः खसरा नम्बर 16, 46 व 66 रकबा 0.10, 3.00 व 2.10 हैक्टर पर अनाधिकृत रूप से पक्का निर्माण, चारदीवारी बनाकर बाड़ा निर्माण व पड़त कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार अरांई के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्व राजस्व प्रकरण संख्या 22/2018 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 24.05.2018 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 24.05.2018 से अप्रसन्न होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट जरिये पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। पैरोकार सरकार द्वारा मियाद के बिन्दु पर ऐतराज दर्ज नही करवाये जाने पर न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट्स ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 के प्रकरण में नोटिस जारी किये गये एवं अपीलान्ट्स उनके समक्ष उपस्थित हुए तथा फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाकर वापस भेज दिया। अपीलान्ट्स को आक्षेपीय आदेश की जानकारी दिनांक 24.07.2019 को तहसील कार्यालय अरांई किसी कारणवश जाने पर हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में अपीलान्ट्स की सहमति व जुर्म स्वीकारोक्ति के तथ्य अंकित किये हैं किन्तु स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र न तो रेकॉर्ड पर है व न ही निर्णय में इसका उल्लेख किया गया है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जुर्म स्वीकारोक्ति पर लिखित में शपथ पत्र मय प्रार्थना पत्र का आज्ञापक प्रावधान है। पटवारी हल्का द्वारा धारा 91 खसरा संख्या 16, 46 व 66 में रकबा 0.10, 3.00 व 2.10 हैक्टर पर पक्का निर्माण, बाड़ा व बाड़ लगाई जाकर अतिक्रमण की रिपोर्ट द्वेषतापूर्वक पेश की गई है क्योंकि अपीलान्ट्स के खातेदारी खसरा संख्या 25 से लगती हुई आराजी खसरा संख्या 16 की भूमि है। अपीलान्ट्स द्वारा अपनी हद में रहते हुए ही निर्माण व बाड़ लगा रखी है। यह विवरण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में नहीं दिया गया है। प्रकरण दिनांक 17.05.2018 को दर्ज करते हुए आगामी तारीख पेशी 24.05.2018 नियत की गई एवं उक्त दिनांक को ही प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलान्ट्स को न तो जवाब का अवसर दिया गया व न ही दस्तावेज पेश करने का अवसर ही दिया गया। ना ही प्रकरण में गिरदावर, पटवारी के बयान हुए एवं न ही इनसे जिरह करने का अवसर प्राप्त हुआ। अपीलान्ट्स को मुगालते में रखते हुए उनके हस्ताक्षर करवाकर उनके जाने के बाद झूंठी सहमति का हवाला देते हुए प्रकरण निर्णित कर दिया गया।

वकील अपीलान्ट्स ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अपीलान्ट्स द्वारा विवादित आराजी खसरा संख्या 46 में से 15 बिस्वा भूमि के नियमन हेतु तहसीलदार किशनगढ के समक्ष आवेदन किया था। तहसीलदार किशनगढ के आदेश क्रमांक 2052 दिनांक 02.04.2004 की पालना में प्रार्थी सूरजकरण को ग्राम मोतीपुरा के आराजी खसरा संख्या 46 में से रकबा 15 बिस्वा भूमि का बाड़ा नियमन किया गया। जिसमें से 10 बिस्वा भूमि निःशुल्क व 05 बिस्वा भूमि 25/– रूपये प्रति वर्गगज के हिसाब से कुल रूपये 121/– जरिये चालान संख्या 24 दिनांक 15.04.2004 बैंक में जमा करवाये गये हैं। चालान की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई जो उनके द्वारा पत्र दिनांक 25.05.2004 से पटवारी हल्का मोतीपुरा को बाड़ा नियमन की कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। उक्त दस्तावेज अपीलान्ट्स के पास उपलब्ध थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेज पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना प्रकरण दूसरी तारीख पेशी पर ही निर्णित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश नोन स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में आता है जो विधि के अनुकूल नहीं माना जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तमाम विधिक बिन्दुओं को नजरअंदाज कर, मनमर्जी व कानूनी बिन्दुओं को ताक में रखकर तथा जल्दबाजी में निर्णय लिया गया है जिसका कोई कानूनी स्वरूप नहीं है एवं ना ही कानूनी व्याख्या निर्णय में कहीं नजर आती है। उनका आगे कथन है कि मान0 न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढ में

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

विचाराधीन सिविल वाद संख्या 101/2018 नन्दा वगै0 बनाम सरकार में विवादित आराजी खसरा संख्या 46 में निर्मित बाड़े के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थगन जारी किया हुआ है, जो वर्तमान में प्रभावी है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत बहस के जबाव में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलान्ट्स द्वारा विवादित आराजियात पर अवैधानिक रूप से पक्का निर्माण, चारदीवारी बनाकर बाड़ा निर्माण व पड़त कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार विवादित आराजियात राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है। वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में विवादित आराजी खसरा संख्या 46 का अपीलान्ट्स के पक्ष में नियमन का अंकन नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट्स निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट्स द्वारा विवादित आराजीयात पर अनाधिकृत रूप से चार दीवारी बनाकर पक्का निर्माण व बाड़ा निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज होकर किस्म गैर मु0 श्मशान व गै0मु0 नाड़ी दर्ज है, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट आया है कि विवादित आराजी खसरा संख्या 46 में निर्मित बाड़े के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करने बाबत मान0 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढ के न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है। अतः तहसीलदार अरांई को निर्देशित किया जाता है कि वे ग्राम मोतीपुरा के विवादित आराजी खसरा संख्या 46 बाबत वर्तमान में न्यायालय से स्थगन प्रभावी है अथवा नहीं, सम्बन्धी तथ्य की जानकारी करें एवं स्थगन प्रभावी होने की स्थिति में विवादित आराजी खसरा संख्या 46 में निर्मित बाड़े को छोड़कर शेष विवादित खसरा नंबरान व आराजियात पर अपीलान्ट्स द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटवावें। यदि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 46 बाबत न्यायालय से किसी प्रकार का स्थगन प्रभावी नहीं होना पाया जाता है तो उक्त आराजी से भी अतिक्रमण हटवाया जाकर भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई जावे।

आदेश आज दिनांक 09.12.2022 को लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर
अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,अजमेर